

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान कैलाश चन्द बनाम हरिनारायण वर्गो.

किस्म मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 370/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2024	<p>मूल वाद के साथ श्री मेघराज मीणा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के जवाब पेश होने तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नम्बर 698/1 रकबा 0.5059 हैक्ट0 वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 13.08.2024 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज मज साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 13/08/24 को पेश हो।</p> <p>13/8/24</p> <p>28/10/24</p> <p>27/11/24</p>	<p>611-613 718124</p>

विज्ञा (वापस) कराने जाते पत्रा करके पर
 सगावणी लाली शेकर करके दिनांक 27/11/24
 का पत्रा 300 प्रार्थी डी प्रार्थीक पत्रा का
 कर्णोत्तर दिनांक 1 प्रार्थी हाय मूल प्रार्थीक
 पत्रा करे वापस लिखे जाते का दिनांक
 दिनांक 01/11/24

अथ प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र
 लीकर उक्त जगहा डी प्रार्थीक पत्रा कर्णोत्तर
 दिनांक 30/11/24 दिनांक 01/12/24 प्रार्थीक
 मेशल उक्त शेकर साठिना केल पत्रा रहे

श्री
 (अर्थ)
 कर्णोत्तर

उपस्थित अधिकारी
 निवाडे (टंक)